कम्प्यूटर परिपत्र सं० - 2223017

पत्र सं0–विधि/2022–23/अपील निस्तारण/कम्प्यूटर परिपत्र सं0/ 145 /राज्य कर।

कार्यालयः–आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0।

(विधि अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक :: 02 जून, 2022

समस्त अपर आयुक्त ग्रेड–1,
अपर आयुक्त ग्रेड–2(अपील), राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

विषयः– उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा–55 के अन्तर्गत लम्बित अपीलों के निस्तारण के सम्बन्ध में।

माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष राज्य कर विभाग द्वारा 100 दिवसीय, 06 माह, 01 वर्ष एवं 02 वर्ष के कार्यात्मक लक्ष्य में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा–55(जिसे आगे प्रांतीय अधिनियम कहा गया है) के अंतर्गत लम्बित अपीलों के शीघ्र निस्तारण की कार्ययोजना भी प्रस्तुत की गई है। प्रांतीय अधिनियम के अंतर्गत वर्षवार लम्बित अपीलों के शीघ्र निस्तारण के सम्बन्ध में मुख्यालय के पत्र सं0–एस0एस0–4(1)अपील निर्देश/2022–23/95, दिनांक 25.05.2022 से, वर्ष 2018 तक की लम्बित अपीलों के यथाशीघ्र निस्तारण के साथ–साथ आगे के वर्षों की अपीलों का भी प्राथमिकता से निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। प्रांतीय अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली अपीलों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर डिपार्टमेन्टल सर्विसेज > MIS Report >VYAS MIS > Appeal > Appeal Details Court wise में उपलब्ध है। दिनांक 25.05.2022 को प्रेषित निर्देश के साथ संलग्न सूची मे सभी न्यायिक सम्भागों से प्राप्त मैनुअल विवरण के अनुसार दिनांक 31.03.2022 को कुल 14873 अपील लम्बित थी, जबकि VYAS MIS पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार कुल 22789 अपील लम्बित प्रदर्शित हो रही है। **(विवरण संलग्न)**

2. न्यायिक सम्भागों से प्राप्त मैनुअल विवरण एवं VYAS MIS पर उपलब्ध विवरण में भिन्नता से प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकलता है कि अपीलों के निस्तारण के पश्चात् वांछित प्रविष्टियॉ प्रांतीय अधिनियम के अंतर्गत योजित अपीलों से सम्बन्धित मॉड्यूल में नहीं की जा रही है। अपीलीय कार्यालयों की उक्त कार्य प्रणाली अत्यंत आपत्तिजनक है। VYAS MIS पर उपलब्ध विवरणों की समीक्षा पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2022 को रू0–05 लाख एवं उससे अधिक विवादित धनराशि की कुल 6475 अपील लम्बित है। मा0 मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत कार्ययोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से पूर्व में दिनांक 25.05.2022 को जारी निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए तत्काल प्रभाव से समस्त अपीलीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि रू0–05 लाख एवं उससे अधिक विवादित धनराशि की लम्बित अपीलों का नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का अनुपालन करते हुए समानुपातिक रूप से नियमानुसार दिनांक 30.09.2022 तक निस्तारण पूर्ण कर लिया जाए। जिन अपीलीय अधिकारियों के समक्ष रू0–05 लाख एवं उससे

अधिक धनराशि की लम्बित अपीलों की संख्या अत्यन्त न्यून है, उनके द्वारा अन्य लम्बित अपीलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।

3. प्रत्येक अपील के निस्तारण की प्रविष्टि सम्बन्धित अपील मॉड्यूल में अनिवार्य रूप से कराई जाए। जिन मामलों मे अपीलों का निस्तारण पूर्व में किया जा चुका है, परन्तु मॉड्यूल पर उपलब्ध विवरण में अपील लम्बित प्रदर्शित हो रही है, उसके निस्तारण से सम्बन्धित प्रविष्टियॉ अपील मॉड्यूल में दिनांक 15.06.2022 तक पूर्ण करा दी जाए। इस कार्य में किसी तकनीकी समस्या का समाधान आई0टी0 अनुभाग, मुख्यालय से तत्काल कराया जाए। प्रत्येक जोन के अपर आयुक्त ग्रेड–1 द्वारा अपीलों के निस्तारण की पाक्षिक समीक्षा अपील माड्यूल से करते हुए संक्षिप्त रिपोर्ट विधि अनुभाग, मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नकः—यथोक्त।

ह0/-

(मिनिस्ती एस0)
आयुक्त,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0 एवं0 दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः— उपायुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर सुसंगत मेन्यू में अपलोड कराने हेतु।

2.6.2022

(सुनील कुमार राय)
अपर आयुक्त (विधि) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

वैट अधिनियम की धारा-55 के अंतर्गत दिनांक 31-03-2022 को लम्बित अपीलों का न्यायिक सम्भागवार विवरण

	न्यायिक सम्भाग का नाम	लम्बित अपीलों की संख्या		रू0-5.00 लाख सेअधिक विवादित धनराशि की लम्बित अपीलों की संख्या
		मैनुअल विवरण के अनुसार	VYAS MIS के अनुसार	
1	आगरा-प्रथम	139	136	38
2	आगरा-द्वितीस	268	420	108
3	आगरा-तृतीय	503	531	143
4	इटावा	170	153	17
5	मैनपुरी	461	422	61
6	अलीगढ़	297	426	71
7	मथुरा	406	402	97
8	प्रयागराज-प्रथम	185	431	40
9	प्रयागराज-द्वितीय	57	375	88
10	प्रयागराज-तृतीय	41	38	4
11	बरेली-प्रथम	151	201	58
12	बरेली-द्वितीय	289	251	58
13	गोरखपुर-प्रथम	191	700	133
14	गोरखपुर-द्वितीय	34	313	53
15	बस्ती	99	160	15
16	अयोध्या-प्रथम	416	308	38
17	अयोध्या-द्वितीय	238	524	141
18	गोण्डा	272	1103	337
19	गाजियाबाद-प्रथम	332	684	239
20	गाजियाबाद-द्वितीय	287	520	195
21	गाजियाबाद-तृतीय	345	581	264
22	गाजियाबाद-चतुर्थ	153	420	132
23	गाजियाबाद-पंचम	201	345	158
24	बुलंदशहर	199	200	35
25	नोएडा-प्रथम	639	868	375
26	नोएडा-द्वितीय	349	354	161
27	नोएडा-तृतीय	611	718	353
28	झाँसी-प्रथम	14	19	3
29	झाँसी-द्वितीय	14	6	2
30	बांदा	191	233	74
31	लखनऊ-प्रथम	219	393	140
32	लखनऊ-द्वितीय	236	9	4
33	लखनऊ-तृतीय	283	734	315
34	लखनऊ-चतुर्थ	211	217	100
35	लखनऊ-पंचम	233	353	143
36	सीतापुर	440	1039	225
37	कानपुर-प्रथम	276	872	387
38	कानपुर-द्वितीय	570	968	326
39	कानपुर-तृतीय	286	320	66
40	कानपुर-चतुर्थ	185	207	59

Scanned with CamScanner

आदेश

	न्यायिक सम्भाग का नाम	लम्वित अपीलों की संख्या		रू0-5.00 लाख सेअधिक विवादित धनराशि की लम्वित अपीलों की संख्या
		मैनुअल विवरण के अनुसार	VYAS MIS के अनुसार	
41	कानपुर-पंचम	287	333	100
42	कानपुर-षष्टम	266	289	69
43	मुरादावाद-प्रथम	281	785	207
44	मुरादावाद-द्वितीय	265	710	160
45	बिजनौर	245	239	35
46	मेरठ-प्रथम	16	23	3
47	मेरठ-द्वितीय	394	389	173
48	सहारनपुर	429	899	205
49	मुजफ्फरनगर	550	503	122
50	वाराणसी-प्रथम	649	777	44
51	वाराणसी-द्वितीय	295	238	5
52	वाराणसी-तृतीय	210	183	8
53	आजमगढ़	130	98	9
54	जौनपुर	212	107	0
55	मिर्जापुर	46	44	3
56	सोनभद्र	107	218	76
	कुल	14873	22789	6475

Scanned with CamScanner